



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227320
CG-DL-E-02062021-227320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1947]
No. 1947]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISHTHA 11, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2100(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक संपदा अधिकारी होते हुए भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने पर नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में, अपनी अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर, अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	कारखाने का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या
(1)	(2)	(3)
1	संपदा अधिकारी, केंद्रीय विपणन संगठन, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली	नई दिल्ली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), कानपुर (उत्तर प्रदेश), आगरा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद (हरियाणा), चंडीगढ़, लुधियाना (पंजाब), मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब), जालंधर (पंजाब), जम्मू (जम्मू और कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और श्रीनगर (जम्मू और प्रदेश), में स्थित केंद्रीय विपणन

		संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के परिसर में आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। जगदीशपुर (अमेठी, उत्तर प्रदेश) और कंदोरी (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में स्थित स्टील प्रसंस्करण (एसपीयू), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के परिसर में आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
2	संपदा अधिकारी, केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, चेन्नई	चेन्नई (तमिलनाडु), बेंगलूर (कर्नाटक), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), कोच्चि (केरल), कोयंबटूर (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के परिसर में आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
3	संपदा अधिकारी, केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम), भुवनेश्वर (उड़ीसा), पटना (बिहार), बोकारो (झारखंड) में स्थित केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के परिसर में आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
4	संपदा अधिकारी, केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई	मुंबई (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान), जबलपुर (मध्य प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), बड़ौदा (गुजरात) में स्थित केंद्रीय विपणन संगठन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के परिसर में आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

[फा. सं. 16 (16)/2021-एसएआईएल]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2100(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government of India, to be estate officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the Act, within the local limits of his jurisdiction, in respect of the public premises specified in column (3) of the said Table:-

TABLE

S.No.	Name, designation and address of officer	Name, address and registration number of the factory
(1)	(2)	(3)
1	Estate Officer, Central Marketing Organisation, Northern Region, New Delhi	Premises belongs to and under administrative control of Central Marketing Organisation, Steel Authority of India Limited, situated at New Delhi, Ghaziabad (Uttar Pradesh), Prayagraj (Uttar Pradesh), Kanpur (Uttar Pradesh), Agra (Uttar Pradesh), Faridabad (Haryana), Chandigarh, Ludhiana (Punjab), Mandi Gobindgarh (Punjab), Jalandhar (Punjab), Jammu (Jammu and

		Kashmir), Lucknow (Uttar Pradesh) and Srinagar (Jammu and Kashmir). Premises belongs to and under administrative control of Steel Processing Unit (SPU), Steel Authority of India Limited, situated at Jagdishpur (Amethi, Uttar Pradesh) and Kandrori (Kangra, Himachal Pradesh).
2	Estate Officer, Central Marketing Organisation, Southern Region, Chennai	Premises belongs to and under administrative control of Central Marketing Organisation, Steel Authority of India Limited, situated at Chennai (Tamil Nadu), Bangalore (Karnataka), Vijaywada (Andhra Pradesh), Tiruchirapalli (Tamil Nadu), Hyderabad (Telangana), Kochi (Kerala), Coimbatore (Tamil Nadu), Visakhapatnam (Andhra Pradesh)
3	Estate Officer, Central Marketing Organisation, Eastern Region, Kolkata	Premises belongs to and under administrative control of Central Marketing Organisation, Steel Authority of India Limited, situated at Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam), Bhubaneswar (Orissa), Patna (Bihar), Bokaro (Jharkhand)
4	Estate Officer, Central Marketing Organisation, Western Region, Mumbai	Premises belongs to and under administrative control of Central Marketing Organisation, Steel Authority of India Limited, situated at Mumbai (Maharashtra), Ahmedabad (Gujarat), Nagpur (Maharashtra), Kota (Rajasthan), Jaipur (Rajasthan), Jabalpur (Madhya Pradesh), Indore (Madhya Pradesh), Pune (Maharashtra), Gwalior (Madhya Pradesh), Baroda (Gujarat).

[F.No. 16(16)/2021-SAIL]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.